निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 179/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शिम्भू पुत्र आनन्दा जाति माली निवासी ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ।
2. मंगला पुत्र आनन्दा जाति माली
3. रामेश्वर पुत्र आनन्दा जाति माली
4. गुल्ला पुत्र. आनन्दा जाति माली
5. बाबू पुत्र आनन्दा जाति माली

   निवासी ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2017 ब उनवानी मंगला बनाम शिम्भू सिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित–

1. श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री बसन्ती लाल अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 21/2017 ब उनवानी मंगला बनाम शिम्भू सिंह व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बसन्ती लाल अग्रवाल ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया दिनांक 19.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी कि हमारी ए डी एम साहब से बात हो चुकी है। अब मेरी अपील को शीघ्र ही स्वीकार करवा कर आपका उक्त नामान्तरकरण खारिज करवा देंगा। जिस पर प्रार्थी अपने मुकदमे की जानकारी करने व अपने अधिवक्ता से वार्तालाप करने दिनांक 20.11.2019 को न्यायालय में गया तो उसने

जिला कलक्टर
जयपुर

अप्रार्थी संख्या 2 को ए डी एम साहब के चैम्बर से आते देखा । प्रार्थी को चैम्बर के बाहर खडा देख कर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसका नामान्तरकरण खारिज कराने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी को आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति मे उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रासन्फर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो अपने खातेदारी अधिकारों के लिये लड रहा है तथा प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के अलाया अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नही है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर अपीलान्ट अपनी अपील को स्वीकार करा लेंगे तो प्रार्थी अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का येनकेन प्रकारेण निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है इसी मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने के योग्य है, फिर भी यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो तारीख नियत करके प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। चूंकि पत्रावली बहस में नियत है और प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कल्क्टर द्वितीय जयपुर का न्यायालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2017 ब उनवानी मंगला बनाम शिम्भू व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर में मुन्तकिल किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

9. पक्षकारान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष अन्तिम बहस की सुनवाई हेतु दिनांक 16.03.2021 को उपस्थित हो। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर एवं (चतुर्थ) जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर